(9)



## न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर
## सर्किट कोर्ट रीवा (म0प्र0)

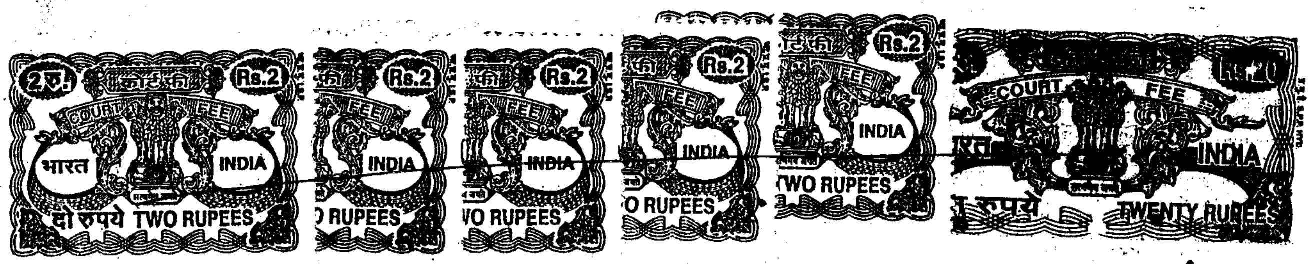


Rs-30/-

R.5379-II/16

श्रीमती उर्मिला तिवारी पत्नी कमलेश तिवारी पुत्री स्व0 महेन्द्र कुमार पाण्डेय, आयु 40 वर्ष, निवासी ग्राम बकिया तिवरियान, तहसील रामपुर बाघेलान, जिला सतना (म0प्र0), हाल निवास भरहुत नगर सतना, तहसील रघुराजनगर, जिला सतना (म0प्र0)

अधिवक्ता श्री आर.डी. कुशवाहा द्वारा प्रस्तुत 27-8-16

———निगरानीकर्ता

बनाम

1— श्रीमती गुलाबरानी पत्नी स्व0 महेन्द्र कुमार पाण्डेय, आयु 70 वर्ष, निवासी ग्राम व पोस्ट रौड़, तहसील नागौद, जिला सतना (म0प्र0)

2— अशोक कुमार पाण्डेय तनय स्व0 महेन्द्र कुमार पाण्डेय, आयु 51 वर्ष, निवासी ग्राम व पोस्ट रौड़, तहसील नागौद, जिला सतना (म0प्र0)

3— अवधबिहारी तनय स्व0 स्व0 महेन्द्र कुमार पाण्डेय, आयु 49 वर्ष, निवासी ग्राम व पोस्ट रौड़, तहसील नागौद, जिला सतना (म0प्र0)

4— राकेश कुमार तनय स्व0 महेन्द्र कुमार पाण्डेय, आयु 40 वर्ष, निवासी ग्राम व पोस्ट रौड़, तहसील नागौद, जिला सतना (म0प्र0)

5— व्यासमुनि पाण्डेय तनय स्व0 महेन्द्र कुमार पाण्डेय, आयु 37 वर्ष, निवासी ग्राम व पोस्ट रौड़, तहसील नागौद, जिला सतना (म0प्र0)

6— राजमणि पाण्डेय तनय स्व0 महेन्द्र कुमार पाण्डेय, आयु 33 वर्ष, निवासी ग्राम व पोस्ट रौड़, तहसील नागौद, जिला सतना (म0प्र0)

7— अखिलेश कुमार पाण्डेय तनय स्व0 महेन्द्र कुमार पाण्डेय, आयु 30 वर्ष, निवासी ग्राम व पोस्ट रौड़, तहसील नागौद, जिला सतना (म0प्र0)

निगरानी विरूद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी महोदय, तहसील नागौद, जिला सतना म0प्र0 के राजस्व प्रकरण क्र0–48/अपील/15–16 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 21/07/2016

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता सन् 1959 ई0

मान्यवर,

## निगरानी के संक्षिप्त तथ्य :–

यह कि भूमि खसरा क्र0–10/1/ख रकवा 4.045 हे0 स्थित मौजा रौड़, पटवारी हल्का–10, रा0नि0मं0 सिंहपुर, तहसील नागौद, जिला सतना (म0प्र0) की आराजी निगरानीकर्ता के पिता स्व0 महेन्द्र कुमार पाण्डेय के स्वत्व, आधिपत्य की है जो वह अपने जीवनकाल में जरिये राजस्व प्रकरण क्र0–135–अ–27/10–11 न्यायालय अधीक्षक भू–अभिलेख, भू–प्रबधंन सतना के बटवारा नामांतरण आदेश दिनांक 23/06/2011 मुताबिक निगरानीकर्ता के पिता महेन्द्र कुमार पाण्डेय द्वारा स्वतः अपने जीवनकाल में निगरानीकर्ता के पक्ष में कराया गया था जिसकी जानकारी सभी निगरानीकर्तागण को थी तथा वह बालिक तथा पढ़े लिखे व राजनैतिक व्यक्ति थे । निगरानीकर्ता के पिता महेन्द्र कुमार पाण्डेय की मृत्यु दिनांक 05/09/15 को हो चुकी है । प्रत्यर्थीगण, निगरानीकर्ता को परेशान करने के उद्देश्य से बनावटी आधारों पर अनुविभागीय अधिकारी महोदय के समक्ष 05 वर्ष बाद अपील प्रस्तुत की गई है जिसमें अनुविभागीय अधिकारी महोदय द्वारा धारा 5 म्याद अधिनियम का आवेदन पत्र विधि व प्रकिया के विपरीत होने के वावजूद स्वीकार कर लिया गया जिससे दुखित होकर श्रीमान् के समक्ष निम्न आधारों पर निगरानी प्रस्तुत की जा रही है ।

## निगरानी के आधार निम्नवत् है :–

1– यह कि माननीय अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 21/07/2016 विधि व प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत होने

# राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 5379–दो/2016 जिला सतना

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही अथवा आदेश | पक्षकरों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
| --- | --- | --- |
| 01-4-2016 | आवेदक अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी नागौद जिला सतना के प्रकरण कमांक 48/अपील/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 21–7–2016 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।<br>2/ आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में निगरानी मेमों एवं प्रश्नाधीन आदेश की सत्यापित प्रति का अवलोकन किया जिससे प्रकट होता है कि अनावेदक द्वारा प्रस्तुत अपील को अंतरिम आदेश दिनांक 21–7–16 को समय–सीमा में मान्य कर प्रकरण उत्तरवादी के जबाव हेतु नियत किया है। आवेदक अभिभाषक का मुख्य रूप से तर्क है कि अनुविभागीय अधिकारी ने 5 वर्ष के विलम्ब को बिना कारण के स्वीकार करने में त्रुटि की है। चूंकि दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसंर देने के उपरांत प्रकरण की परिस्थितियों पर विचार कर अनुविभागीय अधिकारी ने अपील में प्रस्तुत म्याद अधिनियम की धारा 5 का आवेदन स्वीकार किया है। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश में कोई अनियमितता प्रकट नहीं होती है। दर्शित परिस्थितियों में ग्राह्यता के प्रथमदृष्टया कोई आधार प्रकट नहीं होने से निगरानी निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हों। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।<br><br>(एस. एस. अली)<br>सदस्य | |